

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 08 / 2018
दायर दिनांक :- 06 / 07 / 2018
निर्णय दिनांक :- 12 / 03 / 2019

अनवान

श्री हरजी पिता मोडा जी जाति बागरिया निवासी नई आबादी तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द

-----अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
-----रेस्पोजेण्ट

**अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, रेलमगरा नाजायज कब्जा
प्रकरण संख्या 125 / 2017 निर्णय दिनांक 22-09-2017**

उपस्थित :-

- 1- श्री पी.सी. खटीक, अधिवक्ता अपीलांत
- 2- श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

—: निर्णय :-

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं । अपीलांत द्वारा राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 130 रकबा 5 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 05 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने और अपीलाण्ट को भूमि का उपयोग खेती व अन्य अकृषि कार्य में कर लिये जाने से अनुमानित किराया 3 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 150/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 22.09.2017 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांत को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।


उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नाजायज कब्जा के सम्बन्ध में बेदखली का निर्णय और शास्ती आरोपित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है । राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 130 रकबा 5 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 05 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा वर्ष 2004 एवं 2007 से पूर्व का काफी पुराना होकर नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर एव बेदखली का आदेश पारित कर भारी भूल कारित की हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पारित आदेश काबिल खारिज है। अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 130 रकबा 5 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 05 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । माननीय न्यायालय के आदेश से चारागाह भूमि का आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर काटेंदार बाड लगाकर कर अतिक्रमण किया गया ,जो नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाण्ट के विरुद्ध बेदखली का जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 130 रकबा 5 बीघा किस्म चारागाह मेंसे 05 बिस्वा भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया हैं किये गये अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 150/-रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया ,जो उचित प्रतीत होता है। अपीलाण्टस द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है जो आवंटन एवं नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानता हूँ । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द